


प्रेस नोट

सभी गैर सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि नितिनवास १९ स्टेट केस के अन्तर्गत जो सूचना बच्चों की संख्या और बसों की संख्या के संदर्भ में चाहे थी वह सूचना कई पाठशालाओं की अधुनी पर गई है।

अतः सभी पाठशालाओं से निवेदन है कि वे दिनांक २२ फरवरी २०१९ दोपहर १२ बजे तक उम्र १२ साल से कम व १२ साल से ज्यादा बच्चों की संख्या / बसों की संख्या नोट साहित्य व साथ में बसों की RC की छाया प्रतियां भेजना सुनिश्चित करें। इसे अति आवश्यक समझें। यह सूचना जिलाधारा मध्यम द्वारा चाहे गई है। किसी भी प्रकार की देरी के लिए स्कूल प्रबंध स्वयं जिम्मेवार है।

पाठशाला के उली धोन नोट ~~का~~ की आवश्यक है।

सभी समाचार पत्रों हेतु।


२१/०२/१९.
DDHE Unk.